

सेक्युलर सरकार में धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटन कैसे

○डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण ठंडन और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि एक सेक्युलर सरकार धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटन कैसे कर सकती है? सरकारी जमीन धार्मिक संस्थाओं को प्रदट्टे पर दिये जाने की नीति पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या सरकार एक और जवाहर बाग बनाना चाहती है? यह एक गंभीर विषय है सरकार की जमीन प्राइवेट ट्रस्ट को देने पर विचार होना चाहिए कि क्या एक पंथ निपिंश सरकार किसी धार्मिक संस्था को जमीन दे सकती है या नहीं? पीठ ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर सरकार का पक्ष रखने के लिए कहते हुए सुनवायी की अगली तारीख 27 जुलाई लगा दी है।

अपने आदेश में ट्रस्ट को दी गयी जमीन पर किसी प्रकार के निर्माण या भू स्वरूप परिवर्तित करने पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी आगरा को निर्देशित किया है कि कोर्ट के इस आदेश का कड़ाई से पालन करायें तथा भूमि आवंटन से संबंधित सभी



पत्रावलियां 27 जुलाई को पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।

पीठ ने ट्रस्ट के सदस्य शैलेन्द्र सिंह चौहान द्वारा दाखिल याचिका वापस लिये जाने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। ज्ञात हो कि शैलेन्द्र सिंह ने विवादित भूमि पर नक्शा बिना पास कराये सत्तरांग भवन के निर्माण को चुनौती दी थी इस पर कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में निर्माण रोकते हुए मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केस प्रत्यावर्तित कर दिया कि उच्च न्यायालय इसमें तीन महीने में निर्णय ले। पीठ ने कहा कि प्रकरण तय होने से पहले ही जानबूझकर याचिका वापस ले ली गयी। उसका मानना है कि सरकारी जमीन की लूट के इस खेल में मथुरा दंगावन विकास प्राधिकरण की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।

कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड बाधक नहीं

● दीपक तिवारी, एडवोकेट

उच्चतम न्यायालय की अवकास कालीन पीठ ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह राहत उन लोगों को दी है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। सरकार ने कहा है कि किसी को भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो भी उसे जरूरी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने सोशल लेलफेर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आधार की अनिवार्यता की मियाद 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इस दौरान जिनके पास आधार नहीं हैं, वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र के सहारे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है।

न्यायमूर्ति ए.एम. खनविलकर और न्यायमूर्ति नवनिंदा सिंह की अवकाश कालीन पीठ ने कहा कि याचिकार्ता की महज इस आशंका पर, कि आधार कार्ड न होने पर सरकार लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित कर सकती है, कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता। पीठ ने शीर्ष अदालत के 9 जून को दिए उस आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा गया था, जो पैन कार्ड तथा कर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाता है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसके अमल पर तब तक के लिए आशिक रोक लगा दी थी जब तक सवैधानिक पीठ निजता के अधिकार को नहीं देख लेती। आधार कार्ड से संबंधित निजता के अधिकार की सवैधानिकता को जांचने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 5 सदस्यी पीठ का गठन किया जा चुका है।

उच्चतम न्यायालय ने अगे कहा कि अगर कोई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाए तो आप आ सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है। एक अनिवार्यता वाल पर आदेश पारित नहीं हो सकता। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय कर दी है।



कतब्जा

-शब्दवेधी

- आसन से चलेगा शासन —रामदेव
- ◆ शासन चले न चले तुम्हारी दुकान जरूर चलेगी।
- धंधा बंद करिये वरना टिकट कट जायेगा —आशीष सिंह, अध्यक्ष अपना दल (एस)
- ◆ धंधा बंद कर देंगे तो खायेंगे क्या? राजनीति से अच्छा और कोई धंधा है क्या देश लूटने का।
- बीपीएल परिवारों को विजली कनेक्शन मुफ्त —मुख्यमंत्री
- ◆ मि. सी.एम. मुफ्तखोरी से विकास नहीं विनाश होता है
- गोमती रिवर फ्रंट की परियोजना में राजनेताओं को क्लीन चिट —खबर
- ◆ चोर—चोर मौसेरे भाई। कल इनकी भी तो जांच हो सकती है तो अभी हम तुम्हारे कल तुम हमारे।
- मैं पहले टैक्स नहीं देता था, अब भी नहीं दूंगा, ये नहीं चलेगा —अरुण जेटली, वित्त मंत्री
- ◆ क्यों झूठ बोलते हो मंत्री जी, ये पहले भी चलता था आज भी चल रहा और आगे भी चलेगा। बताइये कौनसा एम.एल.ए., ए.पी. मंत्री अपने वेतन भत्ते सुख— सुविधाओं पर टैक्स देता है। एक बात और अगर देश का सामान्य नागरिक टैक्स न देता तो आप लोगों की ऐश्वाराम न चल पाती।
- हवाई चप्पल और मर्सडीज गाड़ी पर नहीं लगा सकते सामान्य टैक्स —वित्त मंत्री
- ◆ बिल्कुल ठीक कहा आपने, मर्सडीज वाले चन्दा देते हैं उनपर ज्यादा टैक्स कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए तो छोटी (मारुती, सैन्द्रो आदि छोटी) गाड़ियों पर आपने 28 प्रतिशत टैक्स, ट्रैक्टर (जो खेती—किसानी के काम आता है) उसपर 12 प्रतिशत उसके पार्टस पर 18 से 28 प्रतिशत टैक्स लगाया है और मर्सडीज पर मात्र 5 प्रतिशत क्योंकि उसमें नेताओं को घूमना है और उनसे चन्दा भी लेना है।
- 2000—2017, सरकारों को 17 साल लग गये कर सुधार का एक कानून बनाने में —तथ्य
- ◆ समझ में नहीं आ रहा है इस पर पीठ थपथपाउं या आंसू बढ़ाउं। मुकदमों की पेंडेंसी पर घड़ियाली आसू बढ़ाने वालों जरा आपने गिरेबान में भी झांककर देख लो।
- एम.एल.सी. के विश्वद्व विजली चोरी की एफ.आई.आर. —न्यूज
- ◆ जरूर विरोधी दल का एम.एल.सी. होगा।
- मैं कभी नहीं चाहती थी कि जान्हवी एक्ट्रेस बने —श्री देवी, एक्ट्रेस (अपनी बेटी पर)
- ◆ मैडम अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। कभी कभी तो बड़े से भी शादी करनी पड़ जाती है।
- ‘दहशतगर्द फैजियों के प्राइवेट पार्ट्स काट कर साथ ले गये उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सिर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वे उसे काट कर ले गये.....’ —आजम खां की सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी
- ◆ इस सिर्फांत से तो आपकी ज़िनान काटा ली जानी चाहिए क्योंकि आपने तो भारत माता को डायन तक कहा है।

कलर प्रिन्ट आउट (एनी साइज), फोटो कापी, नक्से का प्रिन्ट आउट, फोटो, टाइपिंग, मेज़जीन कम्पोजिंग, बाइंडिंग, आधार कार्ड प्रिन्ट आउट, डिजाइनिंग आदि कार्य के लिए सम्पर्क करें

पी.आर. बिजनेस सेण्टर

बी.एम. प्लाजा, नवल किशोर रोड, मल्टी लेवल पार्किंग के बगल,
(ग्राउन्ड फ्लोर) हजरतगंज, लखनऊ

मो. 9125434179